राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ 10(640) परि/पी.डी./2009 जयपुर, दिनांक 12.06.2009

कार्यालय आदेश 14/2009

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिनांक 12–13 फरवरी 2009 को आयोजित जिला कलेक्टर–पुलिस अधीक्षक सम्मेलन में गहन चिन्तन किया गया। सम्मेलन में दिये गये सुझावों को शामिल करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे–

1. जिले में दुर्घटना संभावित/बाहुल्य स्थानों को चिन्हित कर यातायात प्रबन्धन समिति की मासिक बैठक में ऐसे स्थानों में आवश्यक सुधार करने पर विचार विमर्श किया जावे तथा संबंधित विभाग को सुधार करने की जिम्मेदारी दी जावे।

2. शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको की पुलिस को उपलब्ध कराये गये ब्रेथ एनेलाइजर से जांच की जावे। चालक नशे में पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

3. भीड़ भरे नगरीय क्षेत्रों में दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश को निषिद्व किया जावे। नो एन्ट्री क्षेत्र घोषित करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी की जावे।

4. भारी वाहनों के आवागमन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियॉ यथा ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों, मोटर गैराज, निर्माण सामग्री आदि को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जावे तथा ट्रकों की मरम्मत आदि के लिए शहरों से बाहर ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जावे।

5. यातायात नियमों की जानकारी देने, आम जनता में जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जावे। प्रत्येक स्कूल के एक–एक अध्यापक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जावे जो प्रतिदिन छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दें।

6. सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले धीमीगति वाहनों यथा ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, जुगाड़ एवं ट्रेक्टर ट्रोली आदि समस्त वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाये जावे। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 576/08 में बीमा कम्पनियों को रिफ्लेक्टर हेतु राशि उपलब्ध कराने, ऑयल कम्पनियों को पेट्रोल पम्पों पर आने वाली ट्रेक्टर ट्रोलियों पर रिफ्लेक्टर लगवाने एवं परिवहन एवं पुलिस को दायित्व सौंपा है। अतः स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से रिफ्लेक्टर लगवाये जावें।

7. भार वाहनों में ओवर लोडिंग रोकने के विरूद्ध परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। यात्री वाहनों, विशेषकर जीपों में क्षमता से अधिक सवारी पाये जाने पर वाहन स्वामी व चालक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जावे।

8. राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा नियंत्रण, निर्धारित लेन में चलने, चालक द्वारा सीट बैल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, नशे में वाहन नहीं चलाने, जीपों में क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने की जांच करने के लिए 5 इन्टरसेप्टर सहित 5 हाईवे उड़नदस्ते लगाये गये है।

9. शहरी क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने एवं यातायात को बाधित होने से बचाने के लिए शहर से बाहर बाईपास बनाये जावे जिससे अन्यत्र जाने वाले वाहन बाहर से ही चले जावे।

10. सभी नगरीय क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया हुआ है। इस प्रावधान की पालना सुनिश्चित कराई जावे।

11. राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख राज्य उच्च मार्गो से आकर जुड़ने वाली सड़कों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग/संबंधित एजेन्सी के माध्यम से गति अवरोधक बनवाये जावे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।

परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव (प्रथम एवं द्वितीय), मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, परिवहन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
10. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
11. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)